

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/7684 /
दो-14-67/59 भाग-सात

जबलपुर, दिनांक 01/12/2021

प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, जबलपुर के पत्र क्रमांक प्रशि./ले.प्र.शा./2021/283 जबलपुर, दिनांक 30-11-2021 द्वारा श्री डेमन लाल धुवारे, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर का चयन लेखा प्रशिक्षण सत्र 01 दिसम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 में किया गया है।

अतः उनको दिनांक 01-12-2021 से कार्यभार मुक्त किया जाता है एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे लेखा प्रशिक्षण शाला में दिनांक 01-12-2021 को अनिवार्यतः उपस्थित हों।

12/12/21
(प्रमोद कुमार अग्रवाल) 1-12-21

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सर्तकता)

पृष्ठांकन क्रमांक B/7685 /
दो-14-67/59 भाग-सात

जबलपुर, दिनांक 01/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर की ओर सूचनार्थ,
2. प्राचार्य, कार्यालय प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, जबलपुर
3. रजिस्ट्रार, प्रशा., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (ज्यूडीशियल), स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्था./अवकाश/से.पु./वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री डेमन लाल धुवारे, जून. ज्यूडी. असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि वे लेखा प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत प्रतिदिन कार्यालय (रजिस्ट्री) में उपस्थित होकर अपना कार्य संपादित करें,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12/12/21
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
P